Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उदयपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, पाली का अधिशासी अभियंता 13 लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *12 अप्रेल मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते **यज्ञदत्त विदुवा, अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, पाली** को परिवादी से **13 लाख रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी कम्पनी द्वारा किये जा रहे **राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 8 ब्यावर–गोमती सैक्शन में पैकेज 2 के 188 करोड़ 44 लाख के कार्यों** को निर्बाध रूप से चलने देने एवं **75 लाख रुपये की हैण्ड रिसिप्ट (एच. आर.) रिलीज** करने की एवज में **यज्ञदत्त विदुवा, अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, पाली** द्वारा **13 लाख रूपये** रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। इसी काम के लिये आरोपी द्वारा एक **एप्पल कम्पनी का लेपटॉप (मैक–बुक)** पहले ही रिश्वत के रूप में ले लिया है।

जिस पर एसीबी **उदयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल एवं पुलिस अधीक्षक श्री राजीव पचार** के सुपरविजन में एसीबी उदयपुर के **उप अधीक्षक पुलिस श्री हेरम्ब जोशी** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री हरिशचंद्र सिंह** मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये यज्ञदत्त विदुवा पुत्र श्री विपिन बिहारी विदुवा निवासी 16 गणेश विहार, रिद्धिसिद्धि गोपालपुरा बाईपास, जयपुर हाल अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, पाली को परिवादी से **13 लाख रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी अधिशासी अभियंता द्वारा पूर्व में लिया गया **एप्पल कम्पनी का लेपटॉप (मैक–बुक)** भी बरामद कर लिया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा उसके आवास एवं अन्य ठिकानो पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।